न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

मुकदमा नम्बर :—61 / 2024 तारीख रजू :—23.05.2024

जीसीएमएस आई0डी0:—2024 / 163

रूपकला पत्नि श्री समय सिंह जाति जाट निवासी खीप का पुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ——————————————————सायला

बनाम

1.	तिमनसिंह पुत्र श्री धर्मल	जाति जाट निवासी खीप का पुरा
2.	देशराज पुत्र धर्मल	
3.	नरेन्द्र पुत्र समय सिंह	तहसील सूरौठ जिला करौली
4.	योगेन्द्र पुत्र अतर सिंह	

5. रामसहाय पुत्र श्री चौथीराम जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली राज0

6.	विद्या पत्नि लक्खी	जाति जाट निवासी खीप का पुरा
7.	सुरेन्द्र सिंह पुत्र भागमल	
8.	हम्वीर पुत्र अतर सिंह	तहसील सूरौठ जिला करौली

9. सब रजिस्ट्रार तहसील सूरौठ जिला करौली।

10. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ——— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री मुरारी लाल करसौलिया एडवोकेट सायला

निर्णय

दिनांक :– 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायला ने उपरोक्त उनवानी वाद पत्र बावत तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेद्याज्ञा माननीय अदालत के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 167 व पुराना खाता सं0 158 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1535 रकबा 0.24 ऐयर, 1536 रकबा 68 ऐयर, 1537 रकबा 29 ऐयर, 1538/6136 रकबा 08 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खीप का पुरा तहसील सूरौठ में स्थित है। जिसमें कि सायला का 1/20 हिस्सा है और सायला अपने 1/20 हिस्से की आराजीयात की खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं0 1 का 1/10 हिस्सा, गैरसायल सं0 2 देशराज का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 नरेन्द्र सिंह का 1/20 हिस्सा, गैरसायल नम्बर 4 योगेन्द्र का 1/10 हिस्सा, गैरसायल सं0 5 रामसहाय का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 विधा का 1/5 हिस्सा, गैरसायल सं0 7 सुरेन्द्र का 1/5 हिस्सा व गैरसायल सं0 8 हम्बीर का 1/10 हिस्सा है और अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि उपरोक्त आराजीयात मुतजिका मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र का वाहमी तौर पर बंटवारा पक्षकरान के मध्य हो रहा है और सायला अपने वाहमी बंटवारे में आयी जमीन में अपने हिस्से की जमीन पर काबिज व दखील चली आ रही है। लेकिन विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है इसलिए गैरसायलान नं0 1 ता 8 के मन में बदयांति बनी हुयी है और सायल के हिस्से की जमीन गैरसायलान की जमीन में दबी हुयी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि गैर सायलान जबरन सायल के हिस्से की जमीन में खंडा आदि डालकर निर्माण कर कृषि भूमि को

अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा है जिसका गैरसायलान को कोई अधिकार हांसिल नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि सायला अपने हिस्से की आरजीयात को शांतिपूर्वक कास्त करती चली आ रही है सायला ने गत साख में गेहूं कास्त किया था जिसे सायला ने ही दरोह किया है इस प्रकार सायला का प्रथमदृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि गैरसायलान नंबर 1 ता 8, सायला के हिस्से की जमीन में जबरन दिनांक 10.05.2024 को खंडा डाल दिए सायला ने मना किया कि भाइयों आप लोग मेरी जमीन में क्यों खंडा डाल रहे हो तो गैर सायलान नाराज हो गए और कहा कि अभी तो खंडा डालकर अतिक्रमण ही कर रहे हैं आगे तुमको बेदखल कर देंगे और कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर देंगे और सायला को जान से मारने की धमकी दी इसके बाद दिनांक 15.05.2024 को सायला अपने उक्त खेत भूमि पर डाले गए खंडा को हटाने गई तो गैरसायल तिमन सिंह ,अनिल ने सायला के साथ मारपीट की और कहा कि अब तू तेरे खेत को भूल जा अब हम जबरन कब्जा करेंगे और कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर देंगे तेरे हिस्से की जमीन को रहना में कर देंगे सायला ने काफी हाथ जोड़ी की तथा विधिवत बंटवारा करवाने को कहा लेकिन आप पहले विधिवत बंटवारा करवा लो इसके बाद अपने हिस्से की जमीन में आप कुछ भी करना लेकिन गैरसायल नहीं माने और विधिवत बंटवारा को तैयार नहीं हुए इसके बाद सायला ने गैरसायलान को गणमान्य व्यक्तियों से भी समझवाया लेकिन गैर सायलान अपनी है हठधर्मी पर आमादा है तथा अज खुद मानने को तैयार नहीं है तथा रहन वय करने में कृषि से एक कृषि में परिवर्तित करने पर आमादा है यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकतों में सफल हो गए तो सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से भी संभव नहीं है। इसके बाद सायला तहसीलदार सूरौठ के यहां गयी और विधिक बंटवारा का निवेदन किया तो तहसीलदार ने सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा इस कारण यह प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी.आई. पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेद्याज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुधिा का संतुलन सायला के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेद्याज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेद्याज्ञा इस प्रकार से पाबंद किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सं0 1 ता 8, सायला की आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र खसरा नं0 1535 रकबा 0.24 ऐयर, 1536 रकबा 68 ऐयर, 1537 रकबा 29 ऐयर, 1538/6136 रकबा 08 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खीप का पुरा तहसील सूरौठ में सायला के 1/20 हिस्से की भूमि में कोई पत्थर खण्डा आदि नहीं डाले बिना विधिवत बंटवारा के रहन वय नहीं करे कृषि भूमि को अकृषि में निर्माण आदि करर परिवर्तित नहीं करे। सायला को उसके हिस्से की जमीन बेदखल नहीं करे। तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूम सायला को कोई क्षति पहुंचती हो। तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायला को कोई क्षति पहुंचती हो। गैरसायल नं0 09 गैरसायलान नं0 1ता 8 द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज विक्रय पत्र रहननामा आदि को तस्दीक पंजीवद्ध नहीं करे। मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 29.09.2025 को गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये इसलिए गैरसायलान के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये एवं पत्रावली में बहस के लिए दिनांक नियत की गई।

वकील सायला ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 पेश की।

वकील सायला उपस्थित। वकील सायला की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायला ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायला उपस्थित। वकील सायला की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायला की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1535 रकबा 0.24 है0, 1536 रकबा 0.68 है0, 1537 रकबा 0.29 है0, 1538/6136 रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी तिमनसिंह पुत्र धर्मल हिस्सा 1/10, देशराज पुत्र धर्मल 1/10, नरेन्द्रसिंह पुत्र समय सिंह हिस्सा 1/20, योगेन्द्रसिंह पुत्र अतरसिंह हिस्सा 1/10 जाति जाट सा0देह खातेदार, रूपकला पत्नि समयसिंह हिस्सा 1/20, रामसहाय पुत्र चौथीराम हिस्सा 1/10 जाति जाट निववासी जाट की सराय हिण्डौन खातेदार, विद्या पत्नि लक्खी हिस्सा 1/5, सुरेन्द्र सिंह पुत्र भागमल हिस्सा 1/5, हम्बीर पुत्र अतरसिंह 1/10 जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1535 रकबा 0.24 है0, 1536 रकबा 0.68 है0, 1537 रकबा 0.29 है0, 1538/6136 रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील सूरौठ में सायला हिस्सा 1/20 भाग की रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के गैरसायलान मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार हैं। गैरसायलान के द्वारा उक्त कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने हेतु खण्डा डालकरप पुख्ता निर्माण करना चाहते हैं। सायला के द्वारा बंटवारा का दावा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में जब तक उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से बंटवारा कर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है अर्थात सायला के दावा का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक के लिए उक्त विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। कि जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। सायला उक्त विवादित

आराजीयात में हि0 1/20 भाग की रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी साबित है। इस प्रकार सायला के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायला के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायला के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1535 रकबा 0.24 है0, 1536 रकबा 0.68 है0, 1537 रकबा 0.29 है0, 1538/6136 रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील सूरौठ के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 9/4/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली